कार्यालय अंचल अधिकारी बेंगाबाद

आदेश फलक

वाद का प्रकारः– विविध वाद (भूमि विवाद बटवारा)
विविध वाद सं0:– 06/2022-23/R.c.m.s/11/23-24

हसिदा खातुनपति समी अहम्मद
बनाम
अफताब आलम पिता इस्लाम एवं अन्य
ग्राम–घुठीया

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कारवाई
04/05/2023	इस अभिलेख से संबंधित आवेदन थाना दिवस, बेंगाबाद के वाद सं0 132 दिनांक 04.05.2023 को सुनवाई के क्रम में उभय पक्षों द्वारा प्राप्त राजस्व दस्तावेज के आलोक में जाँच कर निष्पादित करने हेतु स्थानांतरित कर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में लाया गया, जिसके आलोक में उक्त अभिलेख की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। उभय पक्षों द्वारा प्राप्त राजस्व दस्तावेज मौजा– धुमाडीह, खाता नं० 18 प्लॉट नं० 26 रकवा 52डी0 भूमि से संबंधित स्थल जाँच एवं हल्का मुख्यालय में संधारित राजस्व दस्तावेजों से जाँच कर प्रतिवेदन की मांग करें। तदनुसार उभय पक्षों से अपने दावों के समर्थन में प्रश्नगत भूमि का कागजात नोटिस निर्गत कर निर्धारित तिथि 09.05.2023 को मांग करें। 04.05.23 अंचल अधिकारी, बेंगाबाद।	
09/05/2023	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उभय पक्ष अपने–अपने आवेदन के साथ उपस्थित। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का इस वाद से संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो निम्नवत है:– मौजा धूमाडीह के खाता नं0 18 प्लॉट नं० 26 रकवा 52 डी0 एवं अन्य प्लॉट कुल रकवा 5.76ए0 भूमि सर्वे खतियान में शेख गिरिजा अली वो शेख सबज अली वो शेख नसरत अली वो वाजद अली पिता शेख वैयत अली वगै0 के नाम से रैयती खाते की भूमि दर्ज है। प्रश्नगत भूमि में सबज अली के पौता समी अहमद ने प्लॉट नं0 26 सर्वे रकवा 52डी0 भूमि कि बिक्री बीवी हसीदा खातुन जो उनकी पत्नी है के साथ केवाला सं0 4054 दिनांक 31.08.2008 को कर दिया है, जिसका जमाबंदी पंजी II के भोलूम नं0 05 पृष्ठ नं0 157 पर कायम है एवं लगान रसीद 2022–23 तक निर्गत है। आवेदन के साथ संलग्न वंशावली के अनुसार विक्रेता समी अहमद के हिस्से में अनुमानित रकवा 3.40ए0 आंकी जाती है, जबकि उनके द्वारा सर्वे रकवा 52डी0 भूमि का निबंधित केवाला द्वारा बिक्री कर दी गई है, जिसके कारण उभय पक्षों के बीच विवाद है। अतः अभिलेख आदेशार्थ हेतु दिनांक 12/05/2023 को उपस्थापित करें। 09.05.23 अंचल अधिकारी, बेंगाबाद।	

Scanned with CamScanner

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्षों का व्यान सुना जिस पर प्रथम पक्ष के हसिदा खातुन ने बताया की पूर्वजों के द्वारा पूर्व में मौजा धुमाडीह खाता नं0 18 से सर्वे रकवा का घरैया बटवारा करके उन सबों अपने–अपने हिस्से की भूमि पर दखलकार रहें हैं, जिसके आधार पर प्लौट सं0 26 रकवा 52 डी0 भूमि को आवेदिका के पति सभी अहम्मद के द्वारा बिक्री करने का दावा करते हैं।

द्वितीय पक्ष के अफताव आलम के द्वारा बताया गया कि पूर्वजो के द्वारा अपने खाने–पीने के लिए कुछ भूमि रखकर शेष बचे भूमि को बटवारा करने को कहा गया, लेकिन आज तक बटवारा नहीं हुआ और अपने–अपने मन मुताबिक के अनुसार भूमि को बिक्री किया गया है।

उक्त ब्यानों को सुननें के पश्चात अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दोनों पक्षों को विवादित भूमि का बटवारा करके विवाद खत्म करने को कहा गया हैं, **परंतु प्रथम पक्ष के द्वारा ब्यान दिया गया कि हमलोग का भूमि बटवारा घर या पंच से होना संभव नहीं है, इसलिए सिविल कोर्ट भेज दिया जाय,** जिसपर इससे उभय पक्षों के द्वारा मौखिक सहमति दिया गया और न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गिरिडीह के वाद सं0 118/2023 धारा 107/111 दं0प्र0सं0 मो0 खाजिर ईस्लाम वगै0 बनाम तनवीर से संबधित नोटिस प्रस्तुत किया, जिसके अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत विवादित भूमि मौजा धुमाडीह खाता नं0 18 प्लॉट नं0 26 रकवा 52डी0 जमीन खतियान से संबंधित है, जिसमें न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी के वाद सं0 118/2023 के द्वारा द्वितीय पक्ष को हिस्सा नहीं देने के आरोप में उभय पक्षों के विरूद्व दं0प्र0सं0 की धारा 107 के तहत कार्यवाही प्रांरभ है, जिस संबंध में प्रथम पक्ष के वारीशान के द्वारा नोटिस की छाया प्रति प्रस्तुत किया है।

आदेश

राजस्व उप निरीक्षक–सह–प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों के ब्यान सुनने के पश्चात तथा प्रस्तुत अनुमण्डल दण्डाधिकारी के न्यायालय, गिरिडीह के वाद सं0 118/2023 द्वारा निर्गत नोटिस की छाया प्रति के अवलोकन करने पर न्यायालय उक्त विवादित भूमि मौजा धुमाडीह थाना नं0 72 खाता नं0 18 प्लॉट नं0 26 रकवा 52डी0 भूमि सर्वे खतियान में कब्जवारी प्रदर्शित होता है के संबंध में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती हैं कि सर्वे खतियानी रैयतो के वंशजो के बीच भूमि बटवारा को लेकर उभय पक्षों के बीच विवाद हैं, जो स्वत्व वाद से संबंधित हैं, जिसका निष्पादन इस न्यायालय के कार्य क्षेत्र की शक्तियों के दायरे में नहीं है। उभय पक्ष चाहे तो अपने–अपने हक हिस्से के निष्पादन को लेकर सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

अतः इस अभिलेख की कार्रवाई इस न्यायालय से बन्द किया जाता है।

Digitally signed by Krishna Kumar Marandi
Date: 2023.06.12 14:09:08 +05:30
Location: 192.168.1.100

12.05.23
अंचल अधिकारी
बेंगाबाद

Scanned with CamScanner